संख्या 4337/ II–2005–03(08)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

सिंचाई विभाग देहरादून : दिनांक 6 दिसम्बर, 2005

विषय : वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आयोजनागत मदों में तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास के लिए धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2005–06 में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से रू0 978.55 (रूपये नौ करोड अठहत्तर लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है को जनपदों में स्थित सिंचाई खण्डों में आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा आवंटित धनराशि के पृथक–पृथक चैक खण्डों के नाम निर्गत किये जायेंगे। जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा जिला योजना की फॉट जिला अनु श्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।

5– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

क्रमशः........2

6— मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण— पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि क महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एव वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

7— कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8— विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एव तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9— त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का सकल त्रैमास में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

10— धनराशि का आहरण डी0सी0एल0 के आधार पर निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

इस सम्बन्ध मे होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005—06 के आय—व्ययक की अनुदान सं0—20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 79/XXVII (2)/2005 दिनांक 30 नवम्बर 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 4/2337/ ||—2005—03(08)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
2— महालेखकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3— वित्त वित्त अनुभाग—2।
4— श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग, उत्तरॉचल शासन।
5— नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
6— निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
7— अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8— समस्त कोषाधिकारी उत्तरांचल।
9— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव

शासनादेश सं०– 4337/II–2005–03 (08)/05 दिनांक 6 दिसम्बर, 2005 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू० में)

जनपद	4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06–निर्माणाधीन सिंचाई/अन्य सिंचाई योजनायें (जिला योजना) 800–अन्य व्यय 02–अन्य रख–रखाव 91–निर्माणाधीन सिंचाई नहरें 24–वृहद् निर्माण कार्य				4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04–नलकूपों का निर्माण 800–अन्य व्यय 02–अन्य रख–रखाव 91–नलकूपों का निर्माण [illegible] योजना) 24–वृहद् निर्माण कार्य				4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07–उत्तरांचल की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार 800–अन्य व्यय 02–अन्य रख–रखाव 01–निर्माण कार्य 24–वृहद् निर्माण कार्य			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	बजट प्राविधान	परिव्यय प्राविधान	पूर्व में निर्गत स्वीकृति	आवंटन	बजट प्राविधान	परिव्यय प्राविधान	पूर्व में निर्गत स्वीकृति	आवंटन	बजट प्राविधान	परिव्यय प्राविधान	पूर्व में निर्गत स्वीकृति	आवंटन
...ताल	81.76	81.76	40.92	40.84	72.95	72.95	36.48	36.47	28.30	28.30	17.10	11.20
...रसिंह	64.97	64.97	32.46	32.51	33.48	33.48	16.80	16.68	—	—	—	—
...ोड़ा	59.13	59.13	29.58	29.55	—	—		—	24.30	24.30	14.16	10.14
...रागढ़	28.00	28.00	13.98	14.02	—			—	16.10	16.10	8.04	8.06
...श्वर	101.47	101.47	50.70	50.77	—			—	28.60	28.60	14.40	14.20
...वत	35.04	35.04	17.52	17.52	39.90	39.90	19.92	19.98	—	—	—	—
...दून	402.81	402.81	201.42	201.39	168.76	168.76	83.32	85.44	—	—	—	—
	78.11	78.11	39.00	39.11	16.98	16.98	8.46	8.52	—	—	—	—
...)	99.86	99.86	49.92	49.94	—	—	1.05	(–) 1.05	—	—	—	—
...ी	87.60	87.60	43.80	43.80	—			—	—	—	—	—
...काशी	135.50	135.49	67.74	67.76	—			—	10.00	10.00	—	—
...याग	171.91	171.91	85.98	85.93	—			—	12.70	12.70	6.30	6.40
...र	110.84	110.84	55.44	55.40	67.93	67.93	33.96	33.97	—	—	—	—
	1457.00	1457.00	728.46	728.54	400.00	400.00	199.59	201.01	120.00	120.00	60.00	50.00

(रुपये नौ [illegible] अठहत्तर लाख पचपन हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।